सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 8/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. रेशम सिंह
2. जगनन्दन सिंह

पुत्रगण मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. मलकीत सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. राजवीर कौर पुत्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री राजेश बुडानिया – वकील वादीगण
2. श्री जसवीर सिंह बराड़ – वकील प्रति.सं. 1 व 2

निर्णय **दिनांक :–**

वादीगण रेषम सिंह वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 12.01.2023 को इस न्यायालय में पेश किया यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के पिता है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र है व प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के अलावा अन्य कोई प्रतिवादी सं. 1 का कोई वारिस नहीं हैं।

लगातार–2–

वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 89/45 जं.सं. 2070–2073 खाता में 2.489 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उक्त भूमि की जमाबन्दी सलग्न वादपत्र हैं। कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 89/45 जं.सं. 2070–2073 खाता में 2.489 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि हैं। इसलिए उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 का प्रतिवादी सं. 1 के बराबर बहिब का हक व हिस्स जन्म से बनता हैं। उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बहिब कर दिया हैं। इसलिए उक्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के बराबर 2/3 हिस्सा बहिब का हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 3 का ज्बाव दावा पेष हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेष 18 नियम 4 पेष किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा जमाबन्दी चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 89/45 जं.सं. 2070–2073 खाता में 2.489 है0 नहरी कृषि भूमि प्रदर्ष की गई जो प्रदर्ष 1 व 2 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 89/45 जं.सं. 2070–2073 खाता में 2.489 है0 में से वादीगण को 2/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किया जावें। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण की ओर से कुल 1 व 2 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

लगातार–3–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 89/45 जं.सं. 2070—2073 खाता में 2.489 है0 में से वादीगण को 2/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किया जावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना—अपना अलग वहन करेगे।

नोटः— बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 8/2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

1. रेशम सिंह
2. जगनन्दन सिंह

पुत्रगण मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. मलकीत सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. राजवीर कौर पुत्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेष बुडानियां वकील वादीगण व श्री जसवीर सिंह बराड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 5 डीएनजी के खाता सं. 89/45 जं.सं. 2070–2073 खाता में 2.489 है0 में से वादीगण को 2/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का इतना हिस्सा कम किया जावें।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।
नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।
निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक .....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..... जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया